प्रेस नोट दिनांक 25.02.2021

इटावा पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर वाहनों को बेचने वाले गिरोह के 02 अभियुक्तों को एक कार,एक लैपटॉप व फर्जी दस्तावेजों सहित गिरफ्तार किया गया।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर/अपराध इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी इटावा व थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर वाहनों को बेचने वाले गिरोह के 02 अभियुक्तों को एक कार,एक लैपटॉप व फर्जी दस्तावेजों सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

ज्ञात हो कि पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर को सूचना मिली थी कि जनपद में चोरी के वाहनों को फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन,दस्तावेज तैयार कराकर उनकी बिक्री की जा रही है जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशानुसार एसओजी इटावा व थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.011.2020 को मु0अ0स0 421/2020 धारा 411,414,420,467,468,471,34,120 बी भादवि अभियोग पंजीकृत कर 03 अभियुक्तों को चोरी किए हुए 12 ट्रैक्टर व फर्जी दस्तावेज सहित गिरफ्तार किया गया था । विवेचना के दौरान उक्त गिरोह के 02 अन्य सदस्यों के नाम प्रकाश में आये थे । जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी ।

इसी क्रम में दिनाकं 24/25.02.2021 की रात्रि को एसओजी/सर्विलांस इटावा एवं थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस टीम द्वारा थाना फ्रेण्डस कालोनी क्षेत्र में सदिग्ध वाहन/ व्यक्ति चैकिंग अभियान के दौरान भ्रमणशील रहकर आईटीआई चौराहा पर चैकिंग की जा रही थी तभी पुलिस टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि मु0अ0स0 421/2020 थाना सिविल लाइन से संबंधित अभियुक्तों द्वारा सूत मील के अन्दर फर्जी तरीके से वाहनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरटीओ इटावा के नाम पर जनता से ठगी की जा रही है मुखबिर की सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुची तो पुलिस टीम को दो अभियुक्त टॉर्च की रोशनी में कुछ काम कर रहे थे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्तों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 01 लैपटॉप, 02 मोबाइल, 11 फर्जी मौहरें (आरटीओ इटावा व औरैया), ऑनलाइन फर्जी आरसी व डीएल बनाने के प्रपत्र व 54980 रुपए व 01 वरना कार बरामद किए गए

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों से कडाई से पूछताछ की गयी तो गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग फर्जी तरीके से आरटीओ इटावा व औरैया के नाम की मौहरे तैयार कर चोरी के वाहनो के फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार कर उनको उचित दाम मिलने पर बेच देते है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भवनीत सिंह उर्फ रौनक पुत्र गुरदीप सिहं निवासी 305 पंजाबी कालोनी थाना कोतवाली इटावा ।
2. सुरेन्द्र सिहं गुड्डा उर्फ काले पुत्र हरभजन निवासी 305 पंजाबी कालोनी थाना कोतवाली इटावा ।

बरामदगी-

1. 01 वरना कार यूपी 75 एके 1234

2. 01 लैपटॉप
3. 02 मोबाइल
4. 11 अदद फर्जी मौहरे (आरटीओ इटावा व औरैया)
5. ऑनलाइन फर्जी आरसी एवं डीएल आदि बनाने के प्रपत्र
6. 54980 रुपए नगद

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0स0 421/2020 धारा 411,414,420,467,468,471,34,120 बी भादवि थाना सिविल लाइन इटावा।

<u>पुलिस टीम</u>- प्रथम टीम- उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह यादव प्रभारी एसओजी व उ0नि0 श्री बीके सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

<u>द्वितीय टीम</u>- श्री अनिल कुमार चौबे प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेण्डस कालोनी।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा।